# वार्षिक लेखा 2021-22



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

# विषय सूची

लेखा—परीक्षा प्रमाणपत्र एवं प्रतिवेदन	1—5
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	6
आय एवं व्यय लेखा	7
तुलन पत्र	8
वित्तीय विवरणों की अनुसूची	9—21
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22
लेखा संबंधी टिप्पणीयां	23-25

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) की दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 50 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (2), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, पद और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियां और भुगतान खाते की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों में केवल, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप वर्गीकरण, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में लेखांकन प्रबंध पर टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता-एवं-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/कैंग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच के आधार पर परीक्षण करना शामिल होता है। किसी ऑडिट में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

#### हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और
   विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
- ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियां और भुगतान खाते को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विद्युत विभाग) द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- iii. हमारे विचार में, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(1) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

#### A. आय और व्यय खाता

व्यय

अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12)

#### 1. भवन की मरम्मत और रखरखाव खर्च - रु. 10.04 लाख

उपरोक्त में 'आयोग के परिसर में दूसरी मंजिल पर पोर्टा केबिन के नवीनीकरण' पर खर्च किए गए रु. 4.31 लाख का व्यय शामिल है। यह कार्य दिनांक 22.01.2022 को पूर्ण किया गया था। चूंकि, नवीनीकरण संपत्ति में सुधार है जो इसके आर्थिक मूल्य और जीवन को बढ़ाता है, अतएव इसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक खर्चों (भवन, मरम्मत और रखरखाव व्यय) को अधिक बताया गया और अचल संपत्तियों को रु. 4.31 लाख से कम बताया गया। नतीजतन, इसके परिणाम स्वरूप व्यय से अधिक आय को भी रु. 4.31 लाख से कम करके दिखाया गया।

#### 2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्यय - रु. 26.98 लाख

उपरोक्त में डीईआरसी वेबसाइट के विकास और वृद्धि पर खर्च किए गए रु. 22.56 लाख शामिल हैं, जिन्हें 'अप्रत्यक्ष संपत्ति' या 'सॉफ्टवेयर' के तहत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक खर्चों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्यय) को अधिक बताया गया और अचल संपत्तियों (अप्रत्यक्ष संपत्ति/कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को रु. 22.56 लाख से कम बताया गया। नतीजतन, इसके परिणामस्वरूप व्यय पर आय को भी रु. 22.56 लाख से कम करके दिखाया गया।

### B. खातों पर टिप्पणियां (अनुसूची-15)

खातों पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9 के अनुसार, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनंतिम खातों के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। बीवाईपीएल और बीआरपीएल के अनंतिम खातों के अनुसार इन कंपनियों द्वारा क्रमशः रु. 2.33 करोड़ रु. 4.52 करोड़ लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार वास्तविक राजस्व बिल के आधार पर लाइसेंस शुल्क रु. 2.28 करोड़ (बीवाईपीएल) और रु. 4.35 करोड़ (बीआरपीएल) तैयार हुआ था। इस आयोग ने बीवाईपीएल और बीआरपीएल से प्राप्त हुए रु. 22 लाख के अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क को न तो वापस किया है और न ही नोट्स टू अकाउंट्स में इसका खुलासा किया है।

वर्ष 2020-21 के खातों पर सीएजी की इसी तरह की टिप्पणी के बावजूद आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

C. सहायता अनुदान

3. वर्ष 2021-22 के दौरान उपयोग के लिए उपलब्ध रु. 21.63 करोड़ (अप्रयुक्त अनुदान का प्रारंभिक

शेष रु. 4.86 करोड़ + वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान रु. 16.77 करोड़), कुल सहायता अनुदान में

से, यह आयोग 31 मार्च 2022 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में रु. 3.62 करोड़ की शेष राशि छोड़कर रु.

18.01 करोड़ का उपयोग कर सका है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित

बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाता लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vi. हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के

अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते

हैं और इस रिपोर्ट के *अनुलग्नक - I* में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आमतौर पर

स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

a) अब तक यह 31 मार्च 2022 को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के मामलों की स्थिति

की बैलेंस शीट से संबंधित है;

b) अब तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष पर आय और व्यय खाते से संबंधित

है।

के लिए और की ओर से

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा). दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.02.2023

4

#### अनुलग्नक -

#### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग के पास न तो पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ है और न ही दिसंबर 2021-22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

#### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप थी।

#### 3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

आयोग ने वर्ष 2021-22 की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया है। अचल संपत्ति रजिस्टर की समीक्षा करने पर निम्नलिखित बिंदु देखे गए:

- वर्ष की शुरुआत और अंत में संपत्ति का कोई प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं है।
- वार्षिक खातों के अनुसार, रु.36.67 लाख राशि के कार्यालय उपकरण की खरीद की गई थी,
   हालांकि एफएआर के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान केवल रु. 5.70 लाख राशि के कार्यालय उपकरण की खरीद की गई थी। यह बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एफएआर को बनाए रखने में विसंगतियां हैं और इसे नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है।
- संपत्ति की खरीद/बट्टे खाते में डालने की प्रविष्टियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थीं।

### 4. मालसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2021-22 की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।

### 5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा को दी गई सूचना के अनुसार, आयोग नियमित रूप से वैधानिक बकायों का भुगतान कर रहा है। 0.

वरिष्ठ उप महालेखाकार (टीएससी)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	(साश रुपया म) <b>गत वर्ष</b>
1. आरंभिक शेष			ा. व्यय		
a) नकद राशि	3,35,818	2,55,782	a) स्थापना व्यय	13,87,96,028	13,35,22,665
b) बैंक शेष	1,22,020	_,,,,,,	(अनुसूची 11 के अनुरूप)	,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,
(i) बचत खाते में	4,68,12,396	6,71,19,154	b) अन्य प्रशासनिक व्यय	3,54,71,549	4,38,86,207
2. अनुदान			(अनुसूची 12 के अनुरूप)		
a) रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से	16,77,02,198	16,10,00,000	2. अग्रिम/ऋण का भुगतान		
3. शुल्क और अंशदान			a) स्टाफ को अग्रिम		
a) अनुज्ञप्ति शुल्क	10,77,99,196	12,82,13,946	(i) अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम	57,228	1,18,791
b) प्रक्रियागत शुल्क	87,73,575	98,86,152	(ii) तकनीकी उपकरणों के लिए अग्रिम	2,64,000	1,76,000
4. <u>ब्याज</u>			(iii) टीए / डीए अग्रिम		
a) सिंध सुविधा जमा से	7,14,335	8,96,820	(iv) विदेश टीए/डीए अग्रिम		
5. <u>अन्य आय</u>			b) <b>आकस्मिक अग्रिम</b>		
a) पुस्तक / प्रपत्रों आदि की बिक्री से प्राप्तिया	2,665	3,122	(i) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम		
b) अन्य प्राप्तियां	46,522		(ii) किराए का अग्रिम भुगतान	7,04,060	2,28,720
c) जुर्माना	40,000	20,000	(iii) कर्मचारियों को अग्रदाय	42,000	
d) आरटीआई अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	1,210	1,460	3. स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत		
e) स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	5,07,513	6,05,799	चालू कार्य पर व्यय		
6. ऋण / जमा से प्राप्तियां			a) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
a) स्टाफ से अग्रिम की वसूली			(i) भवन / पोर्टा केबिन पर पूंजीगत व्यय	3,43,970	9,19,091
(i) अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम	72,204	1,96,465	(ii) कार्यालय उपस्कर	36,67,496	10,83,728
(ii) तकनीकी उपकरणों के लिए अग्रिम	2,64,000	1,76,000	(iii) फर्नीचर तथा फिटिंग्स	3,77,531	21,000
(iii) टीए/डीए अग्रिम		35,000	(iv) कम्प्यूटर / परिपार्श्व	6,48,856	4,14,685
(iv) विदेश टीए / डीए अग्रिम			(v) तकनीकी उपकरण	8,34,622	18,22,771
b) आकस्मिक अग्रिम की वसूली / समायोजन			(vi) वाहन		413
(i) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम	14,24,985	1,05,000	4. अप्रयुक्त अनुदान / ऋण / प्राप्तियां की वापसी		
(ii) किराए का अग्रिम भुगतान	3,46,500	2,94,330	a) रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित प्राप्तियां	11,78,85,016	13,96,27,299
(iii) कर्मचारियों को अग्रदाय	42,000	27,000	5. जमा की वापसी/भुगतान		
c) अन्य जमा			a) प्रतिभूति जमा	15,000	53,434
(i) प्रतिभूति जमा	14,340	1,10,588	b) प्रतिभूति जमा (परिसंपत्तियां)		2,43,600
(ii) धरोहर राशि	7,90,000	8,80,000	c) धरोहर राशि	7,40,000	5,60,000
7. <u>प्रेषण प्राप्तियां</u>			6. <u>प्रेषण प्राप्तियां</u>		
a) लंबित संवितरण वसूली	28,44,465	30,28,384	a) लंबित संवितरण वसूली	28,44,465	30,28,384
b) ईपीएफ प्रेषण खाता	1,63,62,852	1,63,96,926	b) ईपीएफ प्रेषण खाता	1,63,62,852	1,63,96,926
			7. <mark>अंतिम शेष</mark>		
			a) नकद राशि	1,34,186	3,35,818
			b) बैंक शेष		
			(i) बचत खातों में	3,57,07,915	4,68,12,396
			(अनुसूची ४ के अनुरुप)		
कुल	35,48,96,774	38,92,51,928	कुल	35,48,96,774	38,92,51,928

F. D. 77177

सुकेश

तिथिः 24.06.2022 स्थानः नई दिल्ली (वी.बी. नागप्पन ) सलाहकार (वित्त) (मुकेश वधवा) सचिव

## दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

			(शाश रुपय म)
	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
<u><b>A.</b> आय</u>			
1. अनुदान	7	18,01,40,052	18,16,70,560
2. शुल्क एवं अंशदान	8	11,65,72,771	13,81,00,098
3. जमा ऋण/अग्रिम आदि पर प्राप्त ब्याज	9	7,14,335	8,96,820
4. अन्य आय	10	5,97,910	6,30,381
कुल (A)		29,80,25,068	32,12,97,859
<u>B.</u> व्यय			
   1. स्थापना व्यय	11	13,87,96,028	13,35,22,665
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	12	3,54,71,549	4,38,86,207
3. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषण	13	11,78,85,016	13,96,27,299
कुल (B)		29,21,52,593	31,70,36,171
व्यय से अधिक आय की शेष राशि (A-B) — संचय एवं अधिक्य (स्वतंत्र) में हस्तांरित		58,72,475	42,61,688

F. D. 97147

सुकेश

(वी.बी. नागप्पन) सलाहकार (वित्त) (मुकेश वधवा) सचिव

तिथिः 24.06.2022 स्थानः नई दिल्ली

## दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
संग्रह / पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
संचय एवं अधिक्य	1	4,75,23,776	4,29,21,884
चालू देनदारियां तथा प्रावधान	2	3,67,01,676	4,90,90,190
कुल		8,42,25,452	9,20,12,074
<u>परिसंपत्तियां</u>			
स्थायी परिसंपत्तियां	3	4,75,23,776	4,29,21,884
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि  a) नकद एवं बैंक में शेष  b) ऋण एवं अग्रिम  c) अन्य चालू परिसंपत्तिया	4 5 6	3,58,42,101 5,96,182 2,63,393	4,71,48,214 16,78,583 2,63,393
कुल		8,42,25,452	9,20,12,074

्वि.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

तिथिः 24.06.2022 स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र के भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालृ	्वर्ष	गत	वर्ष
अनुसूची 1 — संचय एवं अधिक्य आय का व्यय से अधिक्य — गत वर्ष के लेखा				
अनुसार जोड़ाः वर्ष के अधिक्य	4,29,21,884		4,63,01,114	
घटाः पूंजीगत निवेश बट्टे खाते डाले (अनुसूची 3 के अनुसार)	58,72,475	4,75,23,776	42,61,688 <u>76,40,918</u>	4,29,21,884
वर्ष के अंत में शेष		4,75,23,776		4,29,21,884

F. D. T. 77

(वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

सुकेश

31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालृ	्वर्ष	गत	वर्ष
अनूसूची 2 — चालू देयताएं एवं प्रावधान  A. चालू देयताएं				
1. प्राप्त अग्रिम a) प्रतिभूति जमा b) धरोहर राशि	1,71,728 3,70,000	5,41,728	1,72,388 3,20,000	4,92,388
<ul><li>b) धराहर सांश</li><li>2. सांविधिक देयताएं:</li><li>a) देय खाता</li></ul>				
3. अन्य चालू देयताए a) अप्रयुक्त अनुदान	3,61,59,948	3,61,59,948	4,85,97,802	4,85,97,802
कुल (A)		3,67,01,676		4,90,90,190
B. प्रावधान		1		
कुल (B)		-		
कुल (A+B)		3,67,01,676		4,90,90,190

्वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के अंत में
अनुसूची ३ – स्थायी	लागत / मूल्याकन	वृद्धि	दौरान् बट्टे	लागत / मूल्य
परिसंपत्तिया			खाते में	
विवरण			डाला गया	
144रण				
A. स्थायी परिसंपत्तियां				
पुस्तकें स्थायी परिसंपत्ति—''पोर्टा केबिन''	1,48,315	2 42 070	()	1,48,315
स्थाया पारसपात— पाटा काबन   कम्प्यूटर / परिपार्श्व	50,21,875 98,29,552	3,43,970 6,48,856	() ()	53,65,845 1,04,78,408
विद्युत संस्थापन	2,02,480	0,40,630	()	2,02,480
फर्नीचर और फिटिंग	1,03,57,439	3,77,531	()	1,07,34,970
कार्यालयी उपकरण	1,01,39,824	36,67,496	(5,65,596)	1,32,41,724
तकनीकी उपकरण	30,86,052	8,34,622	(7,04,987)	32,15,687
वाहन	41,36,347		()	41,36,347
कुल (A)	4,29,21,884	58,72,475	(12,70,583)	4,75,23,776
B. चालू पूंजीगत कार्य				
कुल (A+B)				4,75,23,776

्वि.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालृ	् वर्ष	गत	वर्ष
अनुसूची 4 — नकद एवं बैंक शेष				
नकद शेष		1,34,186		3,35,818
अनुसूचित बैंकों में शेष				
- बचत खातों में - केनरा बैंक (सिडिकेट बैंक) — प्राप्त अनुदान राशि के लिए	3,57,07,915		4,68,12,396	
- चालू खातों में - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया — प्राप्त राजस्व के लिए		3,57,07,915		4,68,12,396
कुल		3,58,42,101		4,71,48,214

्वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालृ	्वर्ष	गत र	वर्ष
अनुसूची 5 – ऋण और अग्रिम				
A. कर्मचारियों को अग्रिम				
<ul> <li>a) अवकाश यात्रा रियायत के लिए अग्रिम</li> <li>b) टीए/डीए अग्रिम</li> <li>c) कर्मचारियों को अग्रदाय</li> </ul>			14,976  	14,976
B. अन्य ऋण तथा अग्रिम a) आपूत्तिकर्ता / ठेकेदार को b) किराए का अग्रिम भुगतान	9,902 5,86,280	5,96,182	14,34,887 2,28,720	16,63,607
कुल		5,96,182		16,78,583

िक्र गाज्य सुक्रेश (वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालू	वर्ष	गत	वर्ष
अनुसूची 6 — अन्य चालू परिसंपत्तियां				
<b>A.</b> विविध जमा				
<ul> <li>a) प्रतिभूति जमा</li> <li>— वीएसएनएल / बीएसएनएल के पास जमा</li> <li>— एमटीएनएल के पास जमा</li> <li>— एयरटेल के पास जमा</li> <li>— अपीलीय अधिकृति के पास जमा</li> </ul>	293 18,000 1,500 2,43,600	2,63,393	293 18,000 1,500 2,43,600	2,63,393
कुल		2,63,393		2,63,393

F. 8. 11147 सुकेश (वी.बी. नागप्पन) सलाहकार (वित्त)

(मुकेश वधवा) सचिव

31 मार्च, 2022 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालृ	्वर्ष	गत	वर्ष
अनुसूची 7 - अनुदान से आय				
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त अनुदान	21,63,00,000		23,02,68,362	
जमाः अप्रयुक्त अनुदान का अधिस्थगन				
घटाः अप्रयुक्त अनुदान	3,61,59,948	18,01,40,052	4,85,97,802	18,16,70,560
वर्ष के अंत में अनुदानों से शुद्ध आय		18,01,40,052		18,16,70,560

F. B. 10147 सुकेश (मुकेश वधवा) सचिव

(वी.बी. नागप्पन) सलाहकार (वित्त)

31 मार्च, 2022 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसची 8 – शुल्क एवं अंशदानों से आय		
a. अनुज्ञप्ति शुल्क	10,77,99,196	12,82,13,946
b. प्रक्रियागत शुल्क	87,73,575	98,86,152
वर्ष के अंत में शुल्क एवं अंशदानों से शुद्ध आय	11,65,72,771	13,81,00,098

F. D. 10147

(वी.बी. नागप्पन) सलाहकार (वित्त)

(मुकेश वधवा) सचिव

31 मार्च, 2022 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 9 —जमा / ऋण / अग्रिम आदि पर अर्जित ब्याज से आय		
बैंक जमा पर ब्याज	7,14,335	8,96,820
वर्ष के अंत में जमा/ऋण/अग्रिम आदि पर अर्जित ब्याज से शुद्ध आय	7,14,335	8,96,820

्वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

31 मार्च, 2022 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 10 - अन्य आय		
a. पुस्तकों / प्रपत्रों आदि की बिक्री से आय	2,665	3,122
b. जुर्माना	40,000	20,000
c. सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	1,210	1,460
d. अन्य प्राप्तियां	46,522	
e. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तिया	5,07,513	6,05,799
वर्ष के अंत में अन्य आय	5,97,910	6,30,381

F. B. 75.47 (वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सचिव

सलाहकार (वित्त)

31 मार्च, 2022 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

		T		Г	(राशि रुपये में)
	•	चाल	रू वर्ष	गत	वर्ष
अनुसर	<u> र्गी 11 – स्थापना व्यय</u>				
1.	वेतन तथा भत्ते				
	- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य	41,15,953		56,60,289	
	- अधिकारीगण एवं स्थापना	11,10,500		20,00,209	
	- परिवहन भत्ता	7,38,45,148		7,10,18,287	
	-	43,84,459	8,23,45,560	40,69,292	8,07,47,868
2.	मजदूरी	45,64,439		40,09,292	
3.	मानदेय तथा शुल्क		1,05,37,631		93,86,045
4.	शिक्षण शुल्क		4,01,000		50,870
5.	चिकित्सा व्यय		8,91,000		9,78,000
6.	बोनस		29,74,225		37,08,539
7.	अवकाश भत्ता रियायत		2,34,296		2,25,085
8.	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान		1,23,102		6,59,551
0.	षुट्टा पराग १५ वराग अरापाग		8,56,154		15,79,452
	filtre if Color as single				
9.	ईपीएफ में नियोक्ता का अशदान		75,49,052		71,55,926
10.	ईपीएफसी को ईडीएलआई अंशदान		50,925		50,158
11.	ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क		3,41,479		3,22,460
12.	घरेलू यात्रा व्यय		5,75,961		3,63,475
13.	स्थानीय यात्रा व्यय		13,61,600		15,71,978
14.	विदेश यात्रा व्यय		12,980		1,10,472
15.	किराया		2,57,67,269		2,07,86,657
16.	पट्टे पर लिए आवास की मरम्मत एवं		18,54,920		23,38,340
10.	रखरखाव		10,54,920		23,36,340
1.7			17 26 292		21,11,819
17.	<u> </u>		17,36,383		1 1
18.	अखबारों और पत्रिकाओं के व्ययों हेतु		3,73,352		4,42,002
	प्रतिपूति		0.00.120		0.22.060
19.	टेलीफोन / इंटरनेट आदि की प्रतिपूर्ति		8,09,139		9,33,968
<b>*</b> -			12 07 06 020		12 25 22 665
कुल			13,87,96,028		13,35,22,665

F. 8. 171777

(मुकेश वधवा) सचिव

(वी.बी. नागप्पन) सलाहकार (वित्त)

31 मार्च, 2022 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
शनग=	वी 12 —अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	यालू पप	गत पष
जनुष्टूर	<u>षा ।८ —जन्य भ्रसात्तानम् प्यय जापि</u>		
1.	लेखा परीक्षा शुल्क	3,46,830	
2.	बैंक शुल्क	800	46,192
3.	पुरतकं और पत्रिकाएं	58,927	44,121
4.	भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	10,04,482	7,23,154
5.	कम्प्यूटर उपभोज्य	3,44,910	4,26,442
6.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व्यय	26,97,715	2,08,798
7.	सम्मेलन एवं बैठक व्यय	7,68,298	4,26,478
8.	यात्रा व्यय		
9.	विद्युत उपसाधन व्यय	49,827	24,390
10.	उपस्कर और मशीनरी मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	8,38,685	7,33,373
11.	किराए पर वाहन लिए जाने पर व्यय	4,05,468	5,83,299
12.	विविध व्यय	8,27,327	8,91,569
13.	समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर व्यय	16,286	6,240
14.	पेट्रोल व्यय	4,57,601	3,05,218
15.	<sub>पद्रा</sub> ल व्यय डाक टिकटें और टेलीग्राम व्यय	63,492	63,749
16.	मुद्रण प्रभार एवं प्रपत्र व्यय	2,85,710	2,73,991
17.	कुरा प्रगार ५५ प्रमान व्यय किराया, दरें और कर		1,45,004
18.	फर्नीचर एवं फिटिंग की मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	81,235	61,600
19.	लेखन सामग्री व्यय	1,98,546	2,17,456
20.	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	7,46,364	6,69,950
21.	प्रशिक्षण व्यय	58,410	
22.	वाहन मरम्मत और रखरखाव व्यय	2,61,245	1,66,902
23.	जल और विद्युत व्यय	26,47,936	26,01,872
24.	विज्ञापन और प्रचार	27,39,352	32,00,165
25.	व्यावसायिक सेवाएं	1,13,63,081	2,91,63,220
26.	कानूनी व्यय	85,11,942	18,14,349
27.	सदस्यता शुल्क	6,97,080	10,88,675
21.	uzranı Ara		
कुल		3,54,71,549	4,38,86,207

F. 8. 10147

सुकेश

(वी.बी. नागप्पन) सलाहकार (वित्त) (मुकेश वधवा) सचिव

31 मार्च, 2022 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 13 — रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषण		
a. अनुज्ञप्ति शुल्क	10,77,99,196	12,82,13,946
b. प्रक्रियागत शुल्क	87,73,575	98,86,152
c. पुस्तकों / प्रपत्रों की बिक्री से प्राप्तियां	2,665	3,122
d. जुर्माना	40,000	20,000
e. सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	1,210	1,460
f. अन्य प्राप्तियां	46,522	
g. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	5,07,513	6,05,799
h. बैंक जमा पर ब्याज	7,14,335	8,96,820
कुल	11,78,85,016	13,96,27,299

F. B. 111177

स्क्रिश

(वी.बी. नागप्पन) सलाहकार (वित्त) (मुकेश वधवा) सचिव

#### अनुसूची 14 - महत्वपूर्ण लेखाकन नीतिया

- (1) यह वार्षिक लेखा महालेखाकार (लेखा—परीक्षा) दिल्ली के कार्यालय के पत्रांक CAS/DERC/A/cs/2002-03/538 दिनांकित 13.10.2004 द्वारा अनुमोदित लेखा प्रारुप में तैयार किए गए हैं और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की अधिसूचना संख्या F.11/(129)/2003/Power/499 दिनांकित 03.03.2010 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
- (2) यह वार्षिक लेखा नकद आधार पर तैयार किए गए हैं।
- (3) प्राप्त अनुदान सहायता तथा राजस्व प्राप्ति पृथक बैंक खातों में रखी गई हैं।
- (4) आयोग की वर्ष 2021–22 की राजस्व प्राप्तियों को नियमित आधार पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित किया गया था और आयोग के किसी भी व्यय के लिए कभी उपयोग नहीं किया गया।
- (5) राजस्व प्राप्तियों पर आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (6) अनुदान सहायता राशि तथा अन्य विविध प्राप्तियों की गणना नकद आधार पर की गई है।
- (7) सभी उपार्जित पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की गणना नकद आधार पर की गई है।
- (8) लेखा में, उपार्जित व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (9) स्थायी परिसम्पितयों का मूल्यांकन सामान्य वित्त नियम, 1963 के नियम 151(4) के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण लागत पर किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, स्थायी परिसम्पितयों पर किसी मूल्य ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास की बजाए, संचय और अधिक्य कोष में उतनी कमी कर दी जाएगी जितनी परिसंपितयों को उस वर्ष बट्टे खाते में डाला गया है और अनुसूची 1 में "पूंजीगत निवेश बट्टे खाते" में दिखाया गया है। दूसरी ओर, सभी स्थायी परिसम्पितयों की गणना अधिग्रहण लागत के आधार पर की जाएगी और जब भी किन्हीं विशेष परिसम्पितयों की बिक्री की जाएगी, पूरी लागत, अर्थात् अधिग्रहण लागत बट्टे खाते चली जाएगी।

्रिक्रिशा सुक्रेश (वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

#### अनुसूची 15 – लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान आयोग की राजस्व प्राप्तियां निम्नलिखित विवरण के अनुसार रु. 11,71,70,681/- है::

a.	अनुज्ञप्ति शुल्क	₹.	10,77,99,196
b.	प्रक्रियागत शुल्क	₹.	87,73,575
c.	पुस्तकों / प्रपत्रों की बिक्री से प्राप्तियां	₹.	2,665
d.	जुर्माना	₹.	40,000
e.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन	₹.	1,210
	प्राप्तियां		
f.	अन्य प्राप्तियां	₹.	46,522
g.	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	₹.	5,07,513

उपरोक्त राजस्व प्राप्तियां नियमित आधार पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित कर दी गई थी।

- 2. दिविवि आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान सिंडिकेट बैंक(अब केनरा बैंक) की 'सिंड सुविधा जमा स्कीम' में रखा गया था, जिसके ऊपर वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में रु.7,14,335 / —प्राप्त हुए। प्राप्त किया गया ब्याज भी उपरोक्त (1) में बताए गए अनुसार इस वर्ष के दौरान प्रेषित राजस्व प्राप्तियों से अलग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को समय—समय पर प्रेषित कर दिया गया था।
- 3. तुलन पत्र, प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा में सभी आंकड़े रुपए में दर्शाए गए हैं।
- 4. ड्राफ्ट डीईआरसी फंड रुल्स, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, आयोग की समस्त राजस्व प्रप्तियां नियमित आधार पर रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजी जा रही हैं। यह महालेखानियंत्रक के पत्र दिनांकित 28. 11.2001 की पद्धित पर है जिसके माध्यम से उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आयोग की प्राप्तियां सरकार की प्राप्तियां होंगी तथा सरकारी खाते में क्रेडिट की जाएंगी। डीईआरसी निधि के सृजन के पश्चात् आयोग, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23) के अधीन छूट की मंजूरी हेत् आवेदन करेगा।
- 5. अप्रैल, 2011 में, विद्युत विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने डीईआरसी को वसंत कुंज में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) के 220 कि.वा सब—सटेशन के पूर्वी भाग में स्थित 5000 वर्ग मीटर (लगभग) माप की भूमि रु.1000 /— प्रित वर्ष की लागत पर पट्टे पर आवासीय बंगले / फ्लैट बनाने हेतु आवंटित की थी। हालांकि, यह देखा गया कि आवंटित भूमि आवासीय उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि यह डीटीएल के स्टोरों द्वारा घिरी हुई है तथा भारी मशीनरी के परिवहन के कारण दिन और रात के समय उपकरणों को ढोने और उतारने के दौरान अत्यधिक शोर भी उत्पन्न हो सकता है, साथ ही साथ कथित भूमि यातायात और भारी जाम वाली जगह पर स्थित है। इसलिए, डीईआरसी ने सरकार से अपनी पत्र संख्या F.1(308)/Estt./DERC/2011-12/372 दिनांकित 20.05.2016 एवं अनुवर्ती अनुस्मारक संख्या 769 दिनांकित 29.06.2016 के माध्यम से अनुरोध किया कि वह वसंत कुंज की भूमि का आवंटन रद्द करे तथा भूमि का कोई उपयुक्त वैकल्पिक खंड आवंटित करे।

- 6. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपनी पत्र संख्या F311/11/2005-Power/1140 दिनांकित 15.04.2011 के माध्यम से डीईआरसी को 2035 तक डीईआरसी के अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए रिहायशी फलैटों का निर्माण करने के लिए दो एकड़ जमीन पट्टे पर जनकपुरी रिहायशी कालोनी कॉम्पलेक्स में प्रयोग करने के अधिकार के आधार पर आवंटित की है। उपरोक्त जमीन को स्थायी परिसंपत्तियों में नहीं दर्शाया गया क्योंकि जमीन की न तो लीज डीड करवायी गयी है और न ही अभी तक डीईआरसी द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है।
- 7. डीईआरसी ने दिनांक 07.09.2020 को एनडीएमसी को ब्याज सिहत अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने का नोटिस जारी किया है। एनडीएमसी पर डीईआरसी द्वारा आगे सुओमोटो याचिका शुरू की गई है और यह निपटान के लिए लंबित है। दिनांक 31.03.2022 तक अनुज्ञप्ति शुल्क और ब्याज की देय राशि रु. 14.74.56.421/- है।
- 8. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को अनुज्ञप्ति शुल्क का देरी से भुगतान करने के लिए रु.3,33,13,978 /— ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। डीटीएल विरोध के तहत अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान कर रही है। डीटीएल ने अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 2807 / 2019 दायर भी की है और यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।
- 9. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) ने वित्तीय वर्ष 2020—21 के अनंतिम खातों के आधार पर अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान किया है।
- 10. वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए अनुदान सहायता राशि रु.21,63,00,000 / का अनुमोदन किया गया था जिसमें वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए अप्रयुक्त सहायता अनुदान राशि रु.4,85,97,802 / —शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021—22 के अंत में अनुदान सहायता की अंतिम शेष राशि रु.3,61,59,948 / है जिसे आय और व्यय खाते के आय पक्ष से काट दिया गया है और बकाया देनदारियों के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान आयोग द्वारा प्राप्य सहायता अनुदान राशि से रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समायोजन के अधीन है। हालांकि, आयोग वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान निधि की आवश्यकता के आधार पर अनुदान की अप्रयुक्त राशि के लिए अधिस्थगन लेने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है।
- 11. आयोग ने पत्र सं. DERC/Acctt.6(3)/2021/7064/140 दिनांकित 19.04.2022 के तहत रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से वर्ष 2021–22 के लिए, वर्ष 2022–23 के लिए ताजा अनुदान प्राप्त होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में सहायता अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से रु.3.62 करोड़ को आगे बढ़ाने की अनुमित मांगी है। विद्युत विभाग ने अपनी पत्र सं. F.6/33/Power/GIA/2022/998 दिनांकित 26.05.2022 द्वारा रु.2.58 करोड़ की अप्रयुक्त राशि के उपयोग हेतु वित्त विभाग को बता दिया है। डीईआरसी की पत्र संख्या DERC/Acctt./6(3)/2022/7355/424 दिनांकित 02.06.2022 के तहत रु.1.04 करोड़ की शेष राशि की स्वीकृति की मांग की गई है।
- 12. वित्तीय वर्ष 2020—21 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दल ने यह अवलोकन किया कि भविष्य निधि में अंशदान को स्थापना व्यय के अंतर्गत एक अलग शीर्ष के रूप में दिखाया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक लेखा तैयार करते समय इसका विधिवत पालन किया गया है।
- 13. इसी प्रकार, लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क और भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान के मद में व्यय को प्रेषण रसीदों और प्रेषण भुगतानों को प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्ज नहीं किया गया है।
- 14. व्यय राशि से अधिक आय रु.58,72,475 / को कॉर्पस / पूंजीगत निधि और देनदारियों के तहत आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया गया है।

- 15. कार्यालय परिसर अर्थात् विनियामक भवन, शिवालिक, मालवीय नगर पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी का है और इसलिए भवन को डीईआरसी की संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है। भवन का निर्माण तत्कालीन डीवीबी द्वारा केवल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को समायोजित करने के लिए किया गया था। शुरू में साज—सज्जा और फिक्स्चर पर रु.33.95 लाख डीवीबी द्वारा वहन किए गए थे जिसे बाद में डीईआरसी के बजट में से उन्हें वापस कर दिया गया था।
- 16. डीईआरसी अपने कार्यालय कर्मचारियों के लिए जगह की भारी कमी का सामना कर रहा था और इसलिए बीआरपीएल से शिवालिक सबस्टेशन ग्रिड में कार्यालय की जगह को अपने नियंत्रण में रखने का अनुरोध किया था। बीआरपीएल ने डीईआरसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान उक्त स्थान को 11.04.2012 से एक वर्ष की अविध के लिए सौंप दिया। डीईआरसी ने बीआरपीएल को सूचित किया है कि वह स्थान की कमी के कारण कार्यालय स्थान का उपयोग करना जारी रखेगा और बीआरपीएल से इसकी पत्र संख्या F.1(325)/Estt./DERC/2012-13/2372 दिनांक 27.02.2017 और F.1(325)/Estt./DERC/2012-13/1570 दिनांक 06.11.2017 के तहत ऊपरी कार्यालय स्थान को डीईआरसी को स्थायी आधार पर आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है।

्रिक्रिश सुक्रेश (वी.बी. नागप्पन) (मुकेश वधवा) सलाहकार (वित्त) सचिव

तिथि: 24.06.2022 स्थानः नई दिल्ली

## ANNUAL ACCOUNTS 2021-22



**DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION** 

## **CONTENTS**

CERTIFICATE AND AUDIT REPORT	1-5
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT	6
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	7
BALANCE SHEET	8
SCHEDULE TO THE FINANCIAL STATEMENTS	9-21
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	22
NOTES ON ACCOUNTS	23-25

# Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2022

We have audited the Balance Sheet of Delhi Electricity Regulatory Commission (Commission) as at 31 March 2022 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 50 of the Delhi Electricity Reform Act, 2000 and Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. These financial statements are the responsibility of the Commission's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

This Separate Audit Report contains the Comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

#### Based on our audit, we report that:-

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by Government of National Capital Territory of Delhi (Department of Power) in consultation with the CAG as per Section 104(1) of the Electricity Act, 2003.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under section 104 (1) of the Electricity Act, 2003 in so far as it appears from our examination of such books.
- iv. We further report that;

#### A. Income and Expenditure Account

Expenditure

Other Administrative expenses (Schedule 12)

#### 1. Building Repair and Maintenance expenses - ₹ 10.04 lakh

The above includes expenditure of ₹ 4.31 lakh incurred on 'renovation of porta cabin at second floor in Commission's premises'. The work was completed on 22.01.2022. Since, the renovation is an improvement to the asset which increases its economic value and life, hence, it should have been capitalised.

This resulted in overstatement of Other Administrative expenses (Building, Repair and Maintenance Expenses) and understatement of Fixed Assets by ₹ 4.31 lakh. Consequently, it also resulted in understatement of Excess of Income over Expenditure by ₹ 4.31 lakh.

#### 2. Computer Software Expenses - ₹ 26.98 lakh

The above includes ₹ 22.56 lakh incurred on development and enhancement of DERC website which should have been capitalized under 'Intangible Assets' or 'Software'.

This resulted in overstatement of Other Administrative Expenses (Computer Software Expenses) and understatement of Fixed Assets (Intangible Assets/Computer Software) by ₹ 22.56 lakh. Consequently, it also resulted in understatement of Excess of Income over Expenditure by ₹ 22.56 lakh.

### B. Notes to Accounts (Schedule-15)

As per Note No. 9 of Notes to Accounts, 'BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) and BSES Yamuna Power Limited (BYPL) have made the payment of Licence Fee based on provisional accounts of Financial Year 2020-21'. As per Provisional accounts of BYPL and BRPL Licence fee of 2.33 crore and ₹ 4.52 crores respectively paid by these Companies. However, as per the Audited Annual Accounts for the year 2020-21 the Licence fee on the basis of actual revenue billed worked out to be ₹ 2.28 crore (BYPL) and ₹ 4.35 crore (BRPL). The Commission has neither refunded the excess licence fee of ₹ 22 lakh received from BYPL and BRPL nor disclosed the same in the Notes to Accounts.

Despite similar comment of the CAG on the accounts for the year 2020-21, no corrective action taken by the Commission.

#### C. Grant in Aid

3. Out of the total grant in aid of ₹ 21.63 crore (opening balance of unutilised grant ₹ 4.86 crore + Grant in Aid received during the year ₹ 16.77 crore ) available for utilisation during the year 2021-22, the Commission could utilise Rs. 18.01 crore leaving a balance of ₹ 3.62 crore as unutilized grant as on 31 March 2022.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that

the balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and

Payments Account dealt with by this Report are in agreement with the

books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the

explanations given to us, the said financial statements read together

with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts and

subject to other matters mentioned in Annexure-I to this Report, give a

true and fair view in conformity with the accounting principles generally

accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs

of Delhi Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2022;

b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account on

the Surplus for the year ended on that date.

For and on the behalf of

the Comptroller and Auditor General of India

Principal Accountant General (Audit), Delhi

Place: New Delhi

Date: 22.02.2023

4

#### Annexure-I

### 1. Adequacy of Internal Audit System

The Commission has no separate Internal Audit Wing and no Internal Audit has been conducted for the year 2021-22.

## 2. Adequacy of Internal Control System

The Internal Control System of the Commission was commensurate with the size of the organisation.

### 3. System of physical verification of Fixed Assets

The Commission has conducted the physical verification of fixed assets for the year 2021-22. On review of Fixed Assets Register the following points were noticed:

- There is no opening and closing balance of assets at the beginning and end of the year.
- As per annual accounts, Office Equipment amounting to ₹ 36.67 lakh were purchased however, as per FAR, Office Equipment amounting to ₹ 5.70 lakh only were purchased during the year 2021-22. This huge gap clearly shows there are discrepancies in maintaining FAR and is not being updated regularly.
- The entries for purchase/writing off of asset were not authenticated by the Competent Authority.

### 4. System of physical verification of Inventory

Physical verification of Inventory was conducted for the year 2021-22.

#### 5. Regularity in payment of statutory dues

As per the information furnished to Audit, the Commission is regular in payment of statutory dues.

Sr. Dy. Accountant General (TSC)

## RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

D-1 G-1-1-1-1	Current	Previous	2.17.52	Current	Previous
RECEIPTS	Year	Year	PAYMENTS	Year	Year
1. Opening Balances			1. Expenses		
a) Cash in hand	3,35,818	2,55,782	a) Establishment Expenses	13,87,96,028	13,35,22,665
b) Bank Balances			(corresponding to Schedule 11)		
(i) In Saving Accounts	4,68,12,396	6,71,19,154	b) Other Administrative Expenses	3,54,71,549	4,38,86,207
2. Grants			(corresponding to Schedule 12)		
a) From Govt. of NCT of Delhi	16,77,02,198	16,10,00,000	2. Payment of Advances/Loans		
3. Fees & Subscriptions			a) Advances of Staff		
a) License Fee	10,77,99,196	12,82,13,946	(i) Leave Travel Concession Advance	57,228	1,18,791
b) Processing Fee	87,73,575	98,86,152	(ii) Advance for Technology Devices	2,64,000	1,76,000
4. <u>Interest</u>			(iii) TA/DA Advance		
a) On Synd Suvidha Deposit	7,14,335	8,96,820	(iv) Foreign TA/DA Advance		
5. Other Income			b) Contingent Advances		
a) Sale Proceeds of Books/Forms etc.	2,665	3,122	(i) Advance to Suppliers/Contractor		
b) Other Receipts	46,522		(ii) Advance Payment of Rent	7,04,060	2,28,720
c) Penalty	40,000	20,000	(iii) Imprest to Staff	42,000	
d) Receipts under RTI, Act	1,210	1,460	3. Expenditure on Fixed Assets &		
e) Receipts from Sale of Fixed Assets	5,07,513	6,05,799	Capital Work-in-Progress		
6. Debt/Deposit Receipts			a) Purchase of Fixed Assets		
a) Recovery of Advances from Staff			(i) Capital Expenditure on Building/ Porta Cabin	3,43,970	9,19,091
(i) Leave Travel Concession Advance	72,204	1,96,465	(ii) Office Equipments	36,67,496	10,83,728
(ii) Advance for Technology Devices	2,64,000	1,76,000	(iii) Furniture & Fittings	3,77,531	21,000
(iii) TA/DA Advance		35,000	(iv) Computer/Peripherals	6,48,856	4,14,685
(iv) Foreign TA/DA Advance			(v) Technology Devices	8,34,622	18,22,771
b) Recovery /Adjustment of Contingent Advances			(vi) Vehicles		413
(i) Advances to Suppliers/Contractors	14,24,985	1,05,000	4. Refund of Unutilized		
			Grants/Loans/Receipts	11.70.05.016	12.06.27.200
(ii) Advance Payment of Rent	3,46,500	2,94,330	a) Receipts remitted to GoNCTD	11,78,85,016	13,96,27,299
(iii) Imprest to Staff	42,000	27,000	5. Refund/Payment of Deposits	15,000	52.424
c) Other Deposits	14240	1 10 500	a) Security Deposit	15,000	53,434
(i) Security Deposits	14,340	1,10,588	b) Security Deposit (Assets)	7 40 000	2,43,600
(ii) Earnest Money	7,90,000	8,80,000	c) Earnest Money	7,40,000	5,60,000
7. Remittance Receipts	29 44 465	20.20.204	6. Remittance Receipts	20 44 465	20.20.204
a) Recovery Pending Disbursement	28,44,465	30,28,384	a) Recovery Pending Disbursement	28,44,465	30,28,384
b) EPF Remittance Account	1,63,62,852	1,63,96,926		1,63,62,852	1,63,96,926
			7. Closing Balances a) Cash in hand	1 24 107	2 25 010
			1 /	1,34,186	3,35,818
			b) Bank Balances	2 57 07 015	1 60 12 200
			(i) In Saving Accounts	3,57,07,915	4,68,12,396
TOTAL	25 40 07 77 4	20.02.51.020	(corresponding to Schedule 4)	25 49 06 55 4	20.02.51.020
TOTAL	35,48,96,774	38,92,51,928	TOTAL	35,48,96,774	38,92,51,928

Date: 24.06.2022 Place: New Delhi (V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Schedule	Current Year	Previous Year
A. INCOME			
1. Grants	7	18,01,40,052	18,16,70,560
2. Fees & Subscription	8	11,65,72,771	13,81,00,098
3. Interest Earned on Deposits	9	7,14,335	8,96,820
Loans/Advances etc.			
4. Other Income	10	5,97,910	6,30,381
TOTAL (A)		29,80,25,068	32,12,97,859
B. EXPENDITURE			
1. Establishment Expenses	11	13,87,96,028	13,35,22,665
2. Other Administrative Expenses etc.	12	3,54,71,549	4,38,86,207
3. Remittance to GoNCTD	13	11,78,85,016	13,96,27,299
TOTAL (B)		29,21,52,593	31,70,36,171
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) - Transferred to Reserve and Surplus (Free)		58,72,475	42,61,688

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance) (Mukesh Wadhwa) Secretary

Date: 24.06.2022 Place: New Delhi

## BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Reserve and Surplus	1	4,75,23,776	4,29,21,884
Current Liabilities and Provisions	2	3,67,01,676	4,90,90,190
TOTAL		8,42,25,452	9,20,12,074
<u>ASSETS</u>			
Fixed Assets	3	4,75,23,776	4,29,21,884
Current Assets, Loans, Advances etc.  a) Cash and Bank Balances b) Loans and Advances c) Other Current Assets	4 5 6	3,58,42,101 5,96,182 2,63,393	4,71,48,214 16,78,583 2,63,393
TOTAL		8,42,25,452	9,20,12,074

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance) (Mukesh Wadhwa) Secretary

Date: 24.06.2022 Place: New Delhi

## SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Currer	Current Year		ıs Year
SCHEDULE 1- RESERVE AND SURPLUS				
Surplus of Income over Expenditure - as per last Accounts	4,29,21,884		4,63,01,114	
Add: Surplus for the year	58,72,475		42,61,688	
Deduct: Capital Investment written off (corresponding to schedule 3)	12,70,583	4,75,23,776	76,40,918	4,29,21,884
BALANCE AS AT THE YEAR END		4,75,23,776		4,29,21,884

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

## SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Currei	ıt Year		us Year
SCHEDULE 2 – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS  A. CURRENT LIABLITIES				
Advance Received     a) Security Deposit     b) Earnest Money	1,71,728 3,70,000	5,41,728	1,72,388 3,20,000	4,92,388
<ol> <li>Statutory Liabilities         <ul> <li>a) Accounts Payable</li> </ul> </li> <li>Other Current Liabilities         <ul> <li>a) Unutilized Grant</li> </ul> </li> </ol>	3,61,59,948	3,61,59,948	4,85,97,802	4,85,97,802
TOTAL (A)		3,67,01,676		4,90,90,190
B. PROVISIONS				
TOTAL (B)				
TOTAL (A+B)		3,67,01,676		4,90,90,190

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

## SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

SCHEDULE 3 – FIXED ASSETS	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Written off during the year	Cost/value at the year end
DESCRIPTION				
A. FIXED ASSETS				
Books Fixed Assets- "Porta Cabin" Computer/Peripherals Electric Installations Furniture & Fixtures Office Equipment Technology Devices Vehicles	1,48,315 50,21,875 98,29,552 2,02,480 1,03,57,439 1,01,39,824 30,86,052 41,36,347	3,43,970 6,48,856  3,77,531 36,67,496 8,34,622	() () () (5,65,596) (7,04,987) ()	1,48,315 53,65,845 1,04,78,408 2,02,480 1,07,34,970 1,32,41,724 32,15,687 41,36,347
TOTAL (A)	4,29,21,884	58,72,475	(12,70,583)	4,75,23,776
B. CAPITAL WORK-IN-PR	OGRESS			
TOTAL (A+B)				4,75,23,776

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Currei	ıt Year	Previous Year	
SCHEDULE 4- CASH AND BANK BALANCES				
Cash balance in hand		1,34,186		3,35,818
Balance with Schedule Banks				
<ul> <li>On Saving Accounts</li> <li>Canara Bank (Syndicate Bank) – for receipts of Grant-in-Aid</li> </ul>	3,57,07,915		4,68,12,396	
- On Current Accounts - Central Bank of India – for revenue receipts		3,57,07,915		4,68,12,396
TOTAL		3,58,42,101		4,71,48,214

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Currer	nt Year	Previous	s Year
A. ADVANCES TO STAFF  a) Advance for Leave Travel Concession b) TA/DA Advance c) Imprest to Staff			14,976	14,976
<ul><li>B. OTHER LOANS AND ADVANCES</li><li>a) To Suppliers/ Contractors</li><li>b) Advance payment of Rent</li></ul>	9,902 5,86,280	5,96,182	14,34,887 2,28,720	16,63,607
TOTAL		5,96,182		16,78,583

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

## SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Current Year		Previous Year		
SCHEDULE 6 – OTHER CURRENT ASSETS  A. SUNDRY DEPOSITS					
<ul> <li>a) Security Deposits</li> <li>— Deposit with VSNL/BSNL</li> <li>— Deposit with MTNL</li> <li>— Deposit with AirTel</li> <li>— Deposit with Appellate Authority</li> </ul>	293 18,000 1,500 2,43,600	2,63,393	293 18,000 1,500 2,43,600	2,63,393	
TOTAL		2,63,393		2,63,393	

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Currei	Current Year		ıs Year
SCHEDULE 7–INCOME FROM GRANTS				
Grant from Govt. of NCT of Delhi	21,63,00,000		23,02,68,362	
Add: Moratorium of unutilized Grant				
Less: Unutilized Grant	3,61,59,948	18,01,40,052	4,85,97,802	18,16,70,560
NET INCOME FROM GRANTS AS AT THE YEAR END		18,01,40,052		18,16,70,560

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 8 – INCOME FROM FEES & SUBSCRIPTIONS		
a. Licence Fee	10,77,99,196	12,82,13,946
b. Processing Fee	87,73,575	98,86,152
NET INCOME FROM FEES & SUBSCRIPTIONS AS AT THE YEAR END	11,65,72,771	13,81,00,098

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance) (Mukesh Wadhwa)

**Secretary** 

# SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 9 – INCOME FROM INTEREST EARNED ON DEPOSITS/LOANS/ADVANCES ETC  Interest on Bank Deposits	7,14,335	8,96,820
NET INCOME FROM INTEREST EARNED ON DEPOSITS/LOANS/ADVANCES ETC AS AT THE YEAR END	7,14,335	8,96,820

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

		Current Year	Previous Year
SCHEDULE 10 – OTHER INCOME			
a.	Sale proceeds of Books/Forms etc	2,665	3,122
b.	Penalty	40,000	20,000
c.	Receipts under RTI, Act	1,210	1,460
d.	Other Receipts	46,522	
e.	Receipts from Sale of Fixed Assets	5,07,513	6,05,799
OTHER INCOME AS AT THE YEAR END		5,97,910	6,30,381

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	(Amount in Rupees					
COMEDIA E 44 ECEADA IOMATERA		Curre	Current Year		Previous Year	
	EDULE 11 – ESTABLISHMENT					
EXP	ENSES					
	- 4.44					
1.	Pay and Allowances					
	- Chairman & Members of the	41,15,953		56,60,289		
	Commission					
	- Officers & Establishment	7,38,45,148		7,10,18,287		
	- Transport Allowance	43,84,459	8,23,45,560	40,69,292	8,07,47,868	
2.	Wages		1,05,37,631		93,86,045	
3.	Honorarium & Fee		4,01,000		50,870	
4.	Tuition Fees		8,91,000		9,78,000	
5.	Medical Expenses		29,74,225		37,08,539	
6.	Bonus		2,34,296		2,25,085	
7.	Leave Travel Concession		1,23,102		6,59,551	
8.	Leave Salary and Pension		8,56,154		15,79,452	
	Contribution				, ,	
9.	Employer's Contribution to EPF		75,49,052		71,55,926	
10.	EDLI Contribution to EPFC		50,925		50,158	
11.	EPF Administrative Charges		3,41,479		3,22,460	
12.	Domestic Travel Expenses		5,75,961		3,63,475	
13.	Local Travel Expenses		13,61,600		15,71,978	
14.	Foreign Travel Expenses		12,980		1,10,472	
15.	Rent		2,57,67,269		2,07,86,657	
16.	Repair & Maintenance of Leased		18,54,920		23,38,340	
	Accommodation		10,51,520		25,50,510	
17.			17,36,383		21,11,819	
18.	Reimbursement of Newspapers &		3,73,352		4,42,002	
10.	Periodicals Exp.		3,73,332		7,72,002	
19.	Reimbursement of Telephone/		8,09,139		9,33,968	
17.	Internet etc.		0,07,137		9,55,700	
	memer etc.					
TOTAL			13,87,96,028		13,35,22,665	
101	AL .		13,07,70,028		13,33,44,003	
		L				

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

		Current	Previous
		Year	Year
SCHE	DULE 12-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
1.	Audit Fee	3,46,830	
2.	Bank Charges	800	46,192
3.	Books and Periodicals	58,927	44,121
4.	Building Repair and Maintenance Expenses	10,04,482	7,23,154
5.	Computer Consumables	3,44,910	4,26,442
6.	Computer Software Expenses	26,97,715	2,08,798
7.	Conference and Meeting Expenses	7,68,298	4,26,478
8.	Conveyance		
9.	Electrical Accessories Expenses	49,827	24,390
10.	Equipment and Machinery Repair & Maintenance Expenses	8,38,685	7,33,373
11.	Hiring of Vehicle Expenses	4,05,468	5,83,299
12.	Misc. Expenses	8,27,327	8,91,569
13.	Newspaper & Periodical Expenses	16,286	6,240
14.	Petrol Expenses	4,57,601	3,05,218
15.	Postage & Telegram Expenses	63,492	63,749
16.	Printing Charges & Form Expenses	2,85,710	2,73,991
17.	Rent, Rates and Taxes		1,45,004
18.	Repair and Maintenance of Furniture and Fixture	81,235	61,600
19.	Stationery Expenses	1,98,546	2,17,456
20.	Telephone and Internet Expenses	7,46,364	6,69,950
21.	Training Expenses	58,410	
22.	Vehicle Repair and Maintenance Expenses	2,61,245	1,66,902
23.	Water & Electricity Expenses	26,47,936	26,01,872
24.	Advertising and Publicity	27,39,352	32,00,165
25.	Professional Services	1,13,63,081	2,91,63,220
26.	Legal Expenses	85,11,942	18,14,349
27.	Membership Fees	6,97,080	10,88,675
TOT	AL	3,54,71,549	4,38,86,207
101		3,5-1,71,5-17	1,50,00,207

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

# SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH 2022

(Amount in Rupees)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 13 – REMITTANCE TO GoNCTD		
a. License Fees	10,77,99,196	12,82,13,946
b. Processing Fees	87,73,575	98,86,152
c. Sale Proceeds of Books/Forms	2,665	3,122
d. Penalty	40,000	20,000
e. Receipt under RTI, Act	1,210	1,460
f. Other Receipts	46,522	
g. Receipts from Sale of Fixed Assets	5,07,513	6,05,799
h. Interest on Bank Deposits	7,14,335	8,96,820
TOTAL	11,78,85,016	13,96,27,299

(V.B. Nagappan) Advisor (Finance)

### **SCHEDULE 14 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

- (1) The Annual Accounts has been prepared in the Formats of Accounts as approved by the Office of Accountant General (Audit) Delhi vide their letter No.CAS/DERC/A/cs/2002-03/538 dt. 13.10.2004 and notified by Government of NCT of Delhi, Department of Power vide notification no. F.11/(129)/2003/Power/499 dated 03.03.2010.
- (2) The Annual Accounts has been prepared on cash basis.
- (3) The Grant-in-aid received and revenue receipts are kept in separate bank accounts.
- (4) The revenue receipts of the Commission for the year 2021-22 were remitted to the Govt. of NCT of Delhi on regular basis and not utilized for any expenditure of the Commission.
- (5) No Income Tax has been provided for on revenue receipts.
- (6) The Grant-in-aid and other miscellaneous receipts are accounted for on cash basis.
- (7) All Capital and Revenue expenditure incurred are accounted for on cash basis.
- (8) No provision for expenditure accrued has been made in the accounts.
- (9) The Fixed Assets have been valued at acquisition cost as per the provisions laid down under Rule 151(4) of General Finance Rules, 1963. According to this provision, no depreciation is to be provided on Fixed Assets. Instead of charging depreciation every year, the Reserve and Surplus Fund shall stand reduced to the extent the Assets are written off in a particular year and it will be shown as "Capital Investment Written Off" in the Schedule 1. On the other hand, all the Fixed Assets shall be accounted on acquisition cost basis and the entire cost i.e. acquisition cost shall stand written off whenever a particular asset shall be disposed off.

(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

#### **SCHEDULE 15 - NOTES ON ACCOUNTS**

1. The revenue receipts of the Commission during the Financial Year 2021-22 are amounting to Rs.11,71,70,681/- as per following details:

a.	License Fees	Rs.	10,77,99,196
b.	Processing Fees	Rs.	87,73,575
c.	Sale Proceeds of Books/Forms	Rs.	2,665
d.	Penalty	Rs.	40,000
e.	Receipt under RTI Act, 2005	Rs.	1,210
f.	Other Receipts	Rs.	46,522
g.	Receipts from Sale of Fixed Assets	Rs.	5,07,513

Above revenue receipts were remitted to the Government of NCT of Delhi (GoNCTD) on regular basis.

- 2. The Grant-in-aid of DERC was parked in 'Synd Suvidha Deposit Scheme' of Syndicate Bank (now Canara Bank) on which a sum of Rs. 7,14,335/- was earned towards interest during the year. The interest earned has been remitted to the GoNCTD from time to time apart from remittance of revenue receipts as stated in (1) above during the year.
- 3. All the figures in the Balance Sheet, Receipt and Payment Account and Income and Expenditure Account are rounded off in rupees.
- 4. The Draft DERC Fund Rules stands submitted to the GoNCTD for approval. Since the approval of GoNCTD is yet to be received, all the revenue receipts of DERC are remitted to GoNCTD on regular basis. This is in line with Controller General of Accounts letter dated 28.11.2001 whereby they have stated that the receipt of the Commission will be receipts of Government and be credited into the Government Account. After creation of DERC Fund, the Commission will apply for grant of exemption under section 10(23) of Income Tax Act, 1961.
- 5. In April, 2011, Department of Power, GoNCTD had allotted land measuring 5000 sq. mtr. (approx) situated in the east portion of 220 KV sub-station of Delhi Transco Ltd (DTL) in Vasant Kunj to DERC, on lease basis at a cost of Rs. 1,000/- per annum, for construction of residential bungalows/ flats. However, it was observed that the said allotted land was not suitable for residential purpose as it is surrounded by the stores of DTL for inventory and transportation of heavy machinery during day and night which may cause excessive noise while loading and unloading the equipments and said land lies in a heavy movement of traffic and heavy jams. Therefore, DERC has requested to Government, vide its letter No. F.1(308)/Estt./DERC/2011-12/372 dated 20.05.2016 and consequent reminder of even number 769 dated 29.06.2016, to cancel the allotment of land of Vasant Kunj and to allot a suitable alternate piece of land.
- 6. GoNCTD vide its letter no. F311/11/2005-Power/1140 dated 15.04.2011 has allotted two acre land to DERC on lease upto the year 2035 on right to use basis in Janakpuri Residential Colony Complex for construction of Residential Flats for officers and staff of DERC. The above land has not been shown in Fixed Assets as neither Lease deed of land has been executed nor possession of aforesaid land has been taken over by DERC till date.

- 7. DERC has issued a preliminary notice dated 07.09.2020 to NDMC for payment of Licence Fee together with interest. Further suo moto petition has been initiated by DERC on NDMC and it is pending for disposal. The Licence Fee due and interest thereon upto 31.03.2022 amounts to Rs. 14,74,56,421/-.
- 8. Delhi Transco Limited (DTL) is to pay interest on delayed payment of Licence Fee amounting to Rs. 3,33,13,978/-. DTL is paying Licence Fee under protest. DTL has also filed a Writ Petition No. 2807/2019 before Hon'ble High Court of Delhi for payment of Licence Fee and the matter is sub-judice before the Hon'ble High Court of Delhi.
- 9. BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) and BSES Yamuna Power Limited (BYPL) have made the payment of License Fee based on provisional accounts of Financial Year 2020-21.
- 10. An amount of Rs. 21,63,00,000/- was sanctioned by GoNCTD towards Grant-in-Aid for Financial Year 2021-22 which includes the unutilised Grant-in-Aid of Rs. 4,85,97,802/- for the Financial Year 2020-21. The closing balance of Grant-in-Aid at the end of Financial Year 2021-22 is Rs. 3,61,59,948/- which has been deducted from the Income side of Income and Expenditure Account and shown as outstanding liabilities as this is subject to adjustment by the GoNCTD from the Grant-in-Aid receivable by the Commission during the Financial Year 2022-23. The Commission may, however exercise an option to seek moratorium for the unutilised amount of grant depending upon the fund requirement during the Financial Year 2022-23.
- 11. The Commission vide letter no. DERC/Acctt.6(3)/2021/7064/140 dated 19.04.2022 has sought permission from GoNCTD to carry forward the unutilized portion of Grant-in-Aid for the year 2021-22 amounting to Rs. 3.62 crore to the next financial year for meeting its expenses till the time fresh grant for the year 2022-23 is received. Department of Power vide letter no. F.6/33/Power/GIA/2022/998 dated 26.05.2022 has conveyed the approval of the Finance Department to utilize the unspent amount of Rs. 2.58 crore. The approval of the balance amount of Rs. 1.04 crore has been sought vide DERC letter no. DERC/Acctt./6(3)/2022/7355/424 dated 02.06.2022.
- 12. During the Audit of Annual Accounts for the Financial Year 2020-21, the audit party has made an observation that Contribution to Provident Fund is to be shown as a Separate head under Establishment Expenses. The same has been duly adhered to while preparing the Annual Accounts of current Financial Year.
- 13. Similarly, based on the audit observation, the expenditure on account of contribution towards Employees Deposit Linked Insurance Scheme, EPF Administrative Charges and Employer's contribution to Provident Fund has not been booked under Remittance Receipts and Remittance Payments in Receipts and Payments Account.
- 14. The excess of Income over expenditure amounting to Rs. 58,72,475/- has been transferred to the Reserve and Surplus under Corpus/Capital Fund & Liabilities.
- 15. The office premises i.e. Viniyamak Bhawan, Shivalik, Malviya Nagar belong to the successor Government Company of the erstwhile Delhi Vidyut Board and therefore the Building has not been shown as asset of DERC. The Building was constructed by the then DVB solely to accommodate the Delhi Electricity Regulatory Commission. The Expenditure on furnishing and fixtures amounting to Rs. 33.95 Lakh was initially borne by DVB which later on was refunded to them out of Budget of DERC.

16. DERC was facing acute space crunch for its office staff and therefore requested BRPL to keep the office space at Shivalik Substation Grid at its disposal. BRPL conveyed acceptance of DERC proposal and handed over the said space during the Financial Year 2012-13 for a period of one-year w.e.f 11.04 2012. DERC has informed BRPL that it would continue to use the office space due to space constraint and requested BRPL vide its letter No. F.1(325)/Estt./DERC/2012-13/2372 dated 27.02.2017 and F.1(325)/Estt./DERC/2012-13/1570 dated 06.11.2017 to allot the above office space to DERC on permanent basis.

(V.B. Nagappan)

(Mukesh Wadhwa)

Advisor (Finance) Secretary

Date: 24.06.2022 Place: New Delhi